नवभारत, रायपुर शनिवार 22 अक्टूबर 2016

# फर्जी आईएसआई मार्का लगाकर बेच रहे थे पानी, 2 फैक्ट्री सील

**सख्ती**

- भारतीय मानक ब्यूरो की कार्रवाई
- बलौदाबाजार और देवपुरी में छापे

राजधानी रिपोर्टर. रायपुर

भारतीय मानक ब्यूरो की टीमों ने बलौदाबाजार और देवपुरी में पैक्ड पानी पाउच व बोतल बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की है. ये दोनों कंपनियां फर्जी आईएसआई मार्का लगाकर पानी बेच रही थी.

वैज्ञानिक-एफ एवं रायपुर शाखा कार्यालय के प्रमुख एके सिन्हा ने बताया कि बलौदाबाजार स्थित

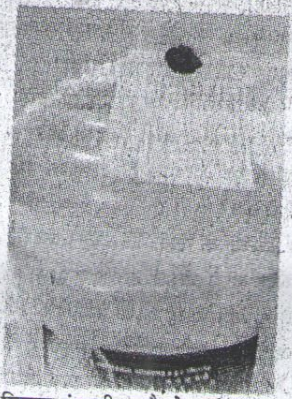

विकास इंडस्ट्रीज और देवपुरी स्थित विद्यां बेंवरेज में छापा मारा गया है. कार्रवाई के दौरान दोनों फैक्ट्री मालिकों से आईएसआई मार्के के संबंध में जब दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे. इस छापामार कार्रवाई में जो ब्रांडेड पानी मिले है, उनमें पीईईबीओ (पीबो) और एक्वा ए स्टार शामिल हैं. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बलौदाबाजार स्थित उक्त प्लांट से एक लीटर पानी के 432 बोतल, 250 एमएल पाउच की 4 बोरियां जब्त की गई है, वहीं एक्वा ए स्टार ब्रांड वाली 20 लीटर के 39 जार, 250 एमएल पाउच की 153 बोरियां जब्त कर सील की गई हैं.

## 50 हजार जुर्माना, 1 साल की जेल

श्री सिन्हा ने बताया कि उक्त दोनों संचालक और फर्म पर भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 1986 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाएगी. यदि दोष सिद्ध होता है तो संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना, एक साल की जेल या दोनों एक साथ की सजा का प्रावधान है.

## आप भी कर सकते हैं शिकायत

यदि आपको लगता है कि पानी पाउच या अन्य कोई वस्तु, जिसमें आईएसआई मार्का लगा है और उसकी क्वालिटी खराब है तो आप इसकी सीधी शिकायत विभाग की वेबसाइट बीआईएस. ओआरजी. इन पर कर सकते हैं. इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो उक्त कंपनी की जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा.

## लंबे समय बाद जागा विभाग

फर्जी आईएसआई मार्का लगाकर पानी पाउच और बोतल बेचने का यह खेल कोई नया नहीं है. पिछले कई वर्षों से राजधानी और विभिन्न जिलों में फैक्ट्री संचालित की जा रही है. अब तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन लंबे समय बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की है और अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी.

patrika.com
पत्रिका . रायपुर . शनिवार . 22.10.2016

कार्रवाई...

# लाइसेंस नहीं, बोतलबंद पानी की फैक्ट्रियां सील

## आईएसआई का मार्का लगाकर बेच रहे थे पानी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को रायपुर और बलौदाबाजार में बगैर लाइसेंस के आईएसआई मार्का लगाकर बोतलबंद पानी का उत्पादन कर रहे दो फैक्ट्रियों में छापेमारी करते हुए उन्हें सील कर दिया। बीआईएस के प्रमुख एके सिन्हा ने बताया कि इन कंपनियों के पास लाइसेंस नहीं था। राजधानी के गांधी चौक स्थित विद्या बेवरेज में

पत्रिका
अभियान का असर

1 सितंबर 2016 को प्रकाशित

टीम ने दबिश दी। यहां एक्वा ए स्टार ब्रांड नाम से आईएसआई मार्का लगाकर पानी पाउच और जार की पैकेजिंग की जा रही थी। टीम ने दूसरी कार्रवाई बलौदाबाजार के सिविल लाइंस स्थित विकास इंडस्ट्रीज़ में की। यहां पर पीबो ब्रांड के नाम से पानी बोतल और पाउच पर आईएसआई मार्का लगाकर कारोबार किया जा रहा था।

### सैम्पल फेल होने के कारण रद्द हुआ था लाइसेंस

**अधिकारियों** ने बताया कि दोनों कंपनियों का सैम्पल फेल होने के कारण इनके लाइसेंस एक साल पहले ही रद्द कर दिए गए थे। बावजूद इसके ये कंपनियां पुराने लाइसेंस के आधार पर पानी बोतल, पानी पाउच और जार पर आईएसआई मार्का लगाकार काम कर रहीं थी। इनमें से एक कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्वीकृत नहीं किया गया था।

रायपुर अमन पथ
22 अक्टूबर 2016
शनिवार

## भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय ने की कार्रवाई

# आईएसआई मार्का को दुरुपयोग करते पकड़ी गईं 'पानी' की दो कंपनियां

### विभाग प्रमुख एके सिन्हा के निर्देश पर हुई छापेमारी

**अमन पथ न्यूज**

**रायपुर।** लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर शुद्ध पानी मुहैय्या कराने के नाम पर 'पानी' बेचने वाली कंपनियां आईएसआई मार्का का दुरुपयोग कर रहीं हैं। इसका खुलासा शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो कार्यालय द्वारा की गई छापेमारी के बाद हुआ है। विभाग प्रमुख एके सिन्हा ने बताया कि पिछले दिनों इस तरह की शिकायत मिली थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने दो अलग-अलग टीम गठित कर शुक्रवार को दो कंपनियों पर छापेमारी कराई। जिन कंपनियों पर छापेमारी की गई उनमें एक बलौदाबाजार सिविल लाइन स्थित विकास इंडस्ट्रीज और दूसरी रायपुर के गांधी चौक स्थित विद्या वेवरेज है।

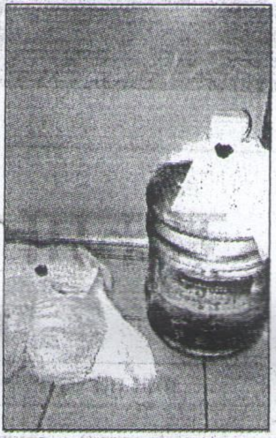

इन दोनों स्थानों पर आईएसआई मार्का का दुरुपयोग के साथ ही पुराने लाइसेंस नंबर का उपयोग करते पाया गया। श्री सिन्हा ने बताया कि इन कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो के एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।